

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।
पत्रांक 2652 /14-1 दिनांक बुलन्दशहर, 01/12/2021।
सेवा में

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्फ्रस्ट्रक्चर डवलपमेन्ट अथारिटी,
सी-13 द्वितीय तल पर्यटन भवन, विपिन लॉन्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय- गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के संरक्षण में आ रही वन भूमि एवं गैर वन भूमि पर वन विभाग के कृती का
सर्वेक्षण करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्र संख्या 12103/1832यूपीडा//20 (वन) दिनांक 07.10.2020।

महोदय,

सन्दर्भित पत्र के क्रम में जाँच क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्याना से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी स्याना ने
अवगत कराया है कि विषयक प्रकरण में यूपीडा के प्रतिनिधि श्री शुभम मेसारे के साथ मौके का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 23.01.2021
को किया गया। स्याना रेंज के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेस-वे, बी0बी0नगर-लाहपुर मार्ग से होकर गुजरेगी। यह मार्ग संरक्षित वन भूमि
नहीं है। गंगा एक्सप्रेस-वे के संरक्षण से स्याना रेंज के अन्तर्गत आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि का उपयोग नहीं होगा, तथा संरक्षण
में वन विभाग के कोई कृष भी बाधक नहीं है।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

संख्या / दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।


(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ